ज्योत्सना शर्मा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

अर्द्धशास0 पत्र सं0 07 , 2021
विश्राम कक्ष,
जिला न्यायाधीश, झांसी।
दिनांक :- 01.07.21

श्री आर्या,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.02.2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण में निम्नानुसार निर्देशित किया गया था-

"श्री विमल प्रकाश आर्य, अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० (१४वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित), झांसी को निर्देशित किया जाता है कि **वे पुराने अभिलेखागार भवन स्थित उपरोक्त पुराने न्यायालय/कार्यालय में रखे सभी प्रपत्र, पत्रावलियों के संबंध में विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों एवं पारेषण (consign) होने योग्य अभिलेखों व पत्रावलियों आदि की शीघ्रताशीघ्र न्यायालयवार सूची बनवाकर, यथोचित आदेश हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक माह के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।"**

इस अनुक्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त संदर्भ में आपके द्वारा वर्तमान समय तक कोई आख्या अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित नही की गई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत आकस्मिक निरीक्षण में दिये गये निर्देशो का अनुपालन कर, अविलम्ब आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आकस्मिक निरीक्षण की प्रति आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस अर्द्धशासकीय पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

(ज्योत्सना शर्मा)
1.7.21

श्री विमल प्रकाश आर्य
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0
(14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),
झांसी।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी।

संदर्भ सं0- 42 /डी0जे0 दिनांक - 20-02-2021

आकस्मिक निरीक्षण आख्या

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 20.02.2021 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय परिसर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त परिसर के चारो तरफ अधिवक्तागणों ने अपने-अपने चैम्बरों का निर्माण कर लिया है। नाजिर ने बताया कि यह चैम्बर कई वर्ष पूर्व से बने हुये हैं। न्यायालय कक्ष व कार्यालय के बाहर बने बरामदे में लगी ग्रिल को बाहर से आंशिक रूप से घेरते हुए चैम्बर बना रखे है। पीठासीन अधिकारी के चैम्बर व न्यायालय/कार्यालय के प्रवेश द्वार के दोनो तरफ चैम्बर बनने के कारण उनमें आने-जाने के लिये बहुत ही सीमित रास्ता बचा है। जिस कारण अधिकारी, कर्मचारी, वादकारी एवं स्वयं अधिवक्तागणों को भी आने जाने में असुविधा होना परिलक्षित होता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस न्यायालय के कार्यालय से सटा हुआ वाटर कूलर लगा हुआ है, जो ग्रीष्मकाल में वादकारीगण, अधिवक्तागण व कर्मचारीगण की सुविधा के लिये लगा हुआ है. परन्तु उससे निकले हुये पानी के निकास के लिये जो पाइप निकला था, उस स्थान पर श्री नरेन्द्र कुमार खरे, अधिवक्ता द्वारा अपना चैम्बर बना लिया गया है, जिससे ग्रीष्मकाल में बुंदेलखण्ड जैसी प्रचण्ड गर्मी में दूर-दूर से आने वाले वादकारीगण एवं अधिवक्तागण व कर्मचारीगण को पीने के पानी की सुविधा का सदुपयोग बाधित हो गया है।

इस संबंध में केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिसर का निरीक्षण करे व अपनी समग्र आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

इस न्यायालय के कार्यालय में कुर्सियां टूटी हुयी एवं डायस में दीमक लगा हुआ व कई जगह से टूटा हुआ पाया गया, जिसके निराकरण के संबंध मे **प्रभारी अधिकारी, नजारत को आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।**

पीठासीन अधिकारी के विश्राम कक्ष के बाहर बरामदे में चार अलमारियां रखी पायी गयी जिनके संबंध में अवगत कराया गया कि इनमें खनिज अधिनियम से संबंधित जमानत प्रपत्र व वाहन अवमुक्ति संबंधी प्रपत्र रखे हुये है। **इस संबंध में पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों को नियमानुसार विनिष्ट तथा परेषण (consign) होने योग्य अभिलेखों को दाखिल दफ्तर कराते हुए, उनका नियमानुसार निस्तारण करना सुनिश्चित करें।**

इस अनुक्रम में अभिलेखागार भवन स्थित पुराने न्यायालय का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें काफी मात्रा मे पुराने व जीर्ण-शीर्ण प्रपत्र बिखरे पड़े हुये पाये गये व भारी मात्रा में पुरानी पत्रावलियां व चालान आदि पुराने दस्तावेज रखे हुये है, जिनके कागज गल गये है व छूने से भी फट रहे हैं तथा 7 बोरे बंधे हुये रखे पाये, जिनको खुलवाकर देखा गया तो उनमें काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में

9/2

पुराने चालान आदि खुले प्रपत्र रखे पाये गये। इसके अतिरिक्त एक लोहे की अलमारी व दो रैक एवं दीवाल में लगी हुयी अलमारी में रसीद कटटे व पुराने रजिस्टर रखे हुये पाये गये। दीवारों एवं लकड़ी पर दीमक का प्रकोप है। यदि यथाशीघ्र कार्यवाही नही की गयी तो यह सभी नष्ट हो सकते है। मेरे संज्ञान में यह भी लाया गया कि इस प्रकार के प्रकरण पहले भी संज्ञान में आये हुए है एवं न्यायालय परिसर स्थित शौचालय, विभिन्न कार्यालयों आदि स्थानों में पत्रावलियां रखी पायी गयी थी एवं मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश संदर्भ सं०-387/D.J. दिनांकित 13.08.2020 के माध्यम से श्री सुशील कुमार, चतुर्थ तत्कालीन अपर जनपद न्यायार्धीश, न्यायालय सं०-4, जो वर्तमान में अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० (O.A.W.) के पद पर कार्यरत है, इस न्यायिक अधिष्ठान के कार्यालयों एवं दीवानी न्यायालय परिसर स्थित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर, अनाधिकृत रूप से रखे हुये दस्तावेजों की सूची तैयार कर, अपनी आख्या समय-समय पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में उनके द्वारा दिनांक 19.8.2020, 25.8.2020, 19.9.2020, 18.9.2020, 19.9.2020, 21.9.2020, 08.10.2020 आदि तिथियों में आख्यायें प्रस्तुत की गयी, जिनपर यथोचित आदेश पारित किये गये एवं उक्त कार्य वर्तमान में भी प्रक्रियाधीन है। श्री सुशील कुमार उक्त समस्त कार्य की प्रगति आख्या/Status Report अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

अतः श्री विमल प्रकाश आर्य, अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० (१४वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित), झांसी को निर्देशित किया जाता है कि **वे पुराने अभिलेखागार भवन स्थित उपरोक्त पुराने न्यायालय/कार्यालय में रखे सभी प्रपत्र, पत्रावलियों के संबंध में विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों एवं पारेषण (consign) होने योग्य अभिलेखों व पत्रावलियों आदि की शीघ्रताशीघ्र न्यायालयवार सूची बनवाकर, यथोचित आदेश हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक माह के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।**

कक्ष की सफाई करवाने एवं दीमक के ट्रीटमेन्ट हेतु केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिशीघ्र कार्यवाही कर आख्या प्रस्तुत करें।

निरीक्षण आख्या के प्रति सभी सम्बन्धित को तदनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित की जाये ।

दिनांकः 20.02.2021

(ज्योत्सना शर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।

विश्राम कक्ष
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनांक- 01. 07. 2021

नोटिस

बनाम

1. श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय(पेशकार)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,(F. T. C.) झाँसी,(चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

विषयः- श्रीमान जनपद न्यायाधीश के संदर्भ सं०- 42/ D. J. दिनांकित- 20. 02. 2021 के संबंध में।

संदर्भः- श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी अर्द्ध शासकीय पत्र सं०- 07, 2021 दिनांकित- 01. 07. 2021 ।

आपको अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश झांसी द्वारा संदर्भ सं०- 42/ D. J. दिनांकित- 20. 02. 2021 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि " श्री विमल प्रकाश आर्य, अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० (14 वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) , झांसी को निर्देशित किया जाता है कि वे पुराने अभिलेखागार भवन स्थित उपरोक्त पुराने न्यायालय/ कार्यालय में रखे सभी प्रपत्र, पत्रावलियों के संबंध में विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों एवं पारेषण (consign) होने योग्य अभिलेखों व पत्रावलियों आदि की शीघ्रताशीघ्र न्यायालयवार सूची बनवाकर, यथोचित आदेश हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक माह के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें । "

दिनांक- 30. 06. 2021 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा आहूत मासिक संगोष्ठी में मुझसे उक्त के संबंध में पूछताछ की गयी थी और मेरे द्वारा मौखिक रूप से श्रीमान जनपद न्यायाधीश को मासिक संगोष्ठी में अवगत कराया गया कि उक्त आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है और तत्पश्चात श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा उक्त अर्द्ध शासकीय पत्र जारी हुआ है और उक्त पत्रांक के साक्ष ही संदर्भ सं०- 42/ D. J. दिनांकित- 20. 02. 2021 की छायाप्रति संलग्न की गयी है ।

चूँकि उक्त आदेश मेरे समक्ष कभी भी आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः आप अन्दर तीन दिवस अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित संदर्भ सं०- 42/ D. J. दिनांकित- 20. 02. 2021 मेरे समक्ष किन कारणों से प्रस्तुत नहीं किया गया और साथ ही यह भी अवगत कराये कि क्या उक्त आदेश संबंधित गॉर्ड फाईल में संलग्न व चस्पा किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी बताएँ कि क्या उक्त आदेश आपके द्वारा प्राप्त किया गया है ।

Rcd
1.7.21

01.07.2021
(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०
(चौहदवीं वित्त आयोग योजनार्गत द्वारा गठित) , झांसी ।

विषयः- नोटिस दिनांक- 01. 07. 2021 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सादर निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक- 15. 02. 2021 से 08. 03. 2021 तक अर्जित अवकाश पर था । प्रार्थी को माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी द्वारा निर्गत कोई आदेश की प्रति प्राप्त नहीं करायी गयी और न ही किसी आदेश के बावत प्रार्थी के अर्जित अवकाश के दौरान पदस्थ रहे पेशकार द्वारा अवगत कराया गया, न ही माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी का कोई आदेश प्रार्थी को प्राप्त कराया, जिससे प्रार्थी द्वारा अनुरक्षित की जा रही गॉर्ड फाईल में उक्त आदेश को चस्पा किया जा सके ।

प्रार्थी के अवकाश में रहने की उक्त अवधि के दौरान कार्यरत तत्कालीन रीडर ने संबंधित गॉर्ड फाईल में भी उक्त आदेश को चस्पा नहीं किया है और न ही उक्त आदेश गॉर्ड फाईल में संलग्न है।

श्रीमान जी की सेवा में स्पष्टीकरण सादर प्रेषित है ।

प्रार्थी

02.7.21

दिनांक- 02. 07. 2021

मनोज कुमार साहू- द्वितीय
(पेशकार/ रीडर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०
(चौहदवीं वित्त आयोग योजनार्गत द्वारा गठित) , झांसी ।

प्रेषक   विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में   मा० जनपद न्यायाधीश
झांसी ।

विषयः-   मा० महोदया द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण दिनांक- 20. 02. 2021 में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुपालन के बावत ।

संदर्भः-   अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं०- 7/ 2021 दिनांकित- 01. 07. 2021 ।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि मा० महोदया के उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के माध्यम से मुझे उपरोक्त विषय के बावत जानकारी प्राप्त होने पर मेरे द्वारा अभिलेखपाल, उप- अभिलेखपाल व सहायक अभिलेखपाल को उक्त कार्य के निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु उक्त कर्मचारीगण द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि उनके पास अभिलेखागार का कार्य पूर्व से है और मा० महोदया का उक्त आदेश निश्चित समय में पूर्ण किये जाने के बावत असमर्थता व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया तथा कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारी व कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त किये जाने का निवेदन किया ।

अतः मा० महोदया से निवेदन है कि मा० महोदया के उपरोक्त विषयांकित आदेश का अनुपालन समय से कराये जाने हेतु कुछ तृतीय श्रेणी कर्मचारी व कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त करने की कृपा करें । साथ ही मा० महोदया से यह भी निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों को कार्य करने व पत्रावलियाँ रखे जाने हेतु समुचित स्थल प्रदान करने की कृपा करें ।

भवदीय

05.07.2021

दिनांक- 05. 07. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

5.7.2021

Recd
13-7-21
12-PM

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, झांसी।

संदर्भ सं०- 172/डी०जे० दिनांक- 12.07.2021

आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.02.2021 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण में श्री विमल प्रकाश आर्य, अपर जनपद न्यायाधीश, एफ०टी०सी० (१४वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित), झांसी को निर्देशित किया गया था कि वे पुराने अभिलेखागार भवन स्थित पुराने न्यायालय/कार्यालय में रखे सभी प्रपत्र, पत्रावलियों के संबंध में विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों एवं पारेषण (consign) होने योग्य अभिलेखों व पत्रावलियों आदि की शीघ्रताशीघ्र न्यायालयवार सूची बनवाकर, यथोचित आदेश हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक माह के अंदर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 05.07.2021 के अनुक्रम में नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, झांसी में कार्यरत **श्री क्षत्रजीत**, प्रधान सहायक एवं प्रतिलिपि अनुभाग, दीवानी, जनपद न्यायालय, झांसी में कार्यरत कनिष्ठ सहायक **श्री विवेक गुप्ता** को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्य के अतिरिक्त उपरोक्त न्यायिक अधिकारी के निर्देशों के अधीन उपरोक्त कार्य करना सुनिश्चित करें एवं प्रश्नगत कार्य की समाप्ति तक प्रत्येक कार्य दिवस में सायं 4 बजे से 7 बजे तक, उक्त न्यायिक अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे।

चूंकि उक्त कार्य में काफी विलम्ब हो चुका है। अतः उक्त कार्य अवकाश के दिनों में भी संपादित किया जायेगा, जिसके लिये सभी संबंधित को निर्देशित किया जाता है।

इस अनुक्रम में **प्रभारी अधिकारी, नजारत** को निर्देशित किया जाता है कि वे कुछ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की उपरोक्तानुसार समयावधि/दिन में ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।

उक्त के क्रम में **श्री विमल प्रकाश आर्य को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त कार्य में संबद्ध कर्मचारीगण की प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करते हुए, कार्य का दिनवार लेखा-जोखा रखेंगे तथा सप्ताह के अन्त में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रगति आख्या प्रस्तुत करते हुए, उक्त कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करें। कर्मचारीगण के कार्य करने व पत्रावलियां रखे जाने हेतु समुचित स्थल के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जहाँ उक्त दस्तावेज रखें हुए है, वहाँ पर्याप्त स्थान है एवं उक्त न्यायिक अधिकारी स्वविवेकानुसार कार्य संपादन कर सकते है।**

सभी सम्बन्धित को तदनुसार अनुपालनार्थ सूचित हों।

(ज्योत्सना शर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
झाँसी।

प्रतिलिपि श्री विमल प्रकाश आर्य, अ० ज० न्या०, एफ०टी०सी० (14 वें वि० आयोग) सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।

दिनांक: 12.07.2021

आज्ञा से

for मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, झाँसी
12.07.21

ज्योत्सना शर्मा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

अर्द्धशास0 पत्र सं0 08, 2021
विश्राम कक्ष,
जिला न्यायाधीश, झांसी।

दिनांक :- 12/07/21

श्री आर्या,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र सं0 7/2021 दिनांकित 01.07.2021 के अनुक्रम में आपके द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 05.07.2021 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा वर्तमान समय तक, अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण दिनांकित 20.02.2021 में दिये गये निर्देशों का, **चार माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, कोई अनुपालन नही किया गया।**

अतः आपके अपेक्षा की जाती है कि आप तीन दिन के अंदर कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण दिनांकित 20.02.2021 का अनुपालन, **चार माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी, आपके द्वारा क्यों और किन परिस्थितियों नही किया गया।**

(ज्योत्सना शर्मा)

श्री विमल प्रकाश आर्य
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0
(14वें वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित),
झांसी।

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक- 14. 07. 2021

नोटिस

बनाम

1. श्री क्षत्रजीत, प्रधान सहायक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय झांसी ।
2. श्री विवेक गुप्ता, कनिष्ठ सहायक प्रतिलिपि अनुभाग दीवानी, जनपद न्यायालय झांसी ।

विषयः- श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा पारित आदेश संदर्भ सं०- 172/ D. J. दिनांकित- 12. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में ।

आपको अवगत कराया जाता है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा अपने पत्रांक संदर्भ सं०- 172/ D. J. दिनांकित- 12. 07. 2021 के द्वारा आपको आदेशित किया गया है कि आप प्रश्नगत कार्य की समाप्ति तक प्रत्येक कार्य दिवस में सांय 4 बजे से 7 बजे तक पुराने अभिलेखागार भवन स्थित पुराने न्यायालय/ कार्यालय में रखे सभी प्रपत्र एवं पत्रावलियों के संबंध में विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों एवं पारषेण (consign) होने योग्य अभिलेखों व पत्रावलियों आदि की शीघ्रातिशीघ्र न्यायालयवार सूची बनाकर प्रति दिन अगले दिन प्रातः 10 बजे से 10. 30 बजे के बीच मेरे समक्ष प्रस्तुत करें और उक्त कार्य का पूर्ण विवरण संबंधित अभिलेख में दर्ज करें, जिससे आपके कार्य के बावत साप्ताहिक आख्या श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित की जा सके। साथ ही आपको यह भी आदेशित किया जाता है कि अवकाश के दिनों में भी उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के अनुक्रम में अपने उक्त कार्यों का निर्वहन करेंगे तथा अवकाश के दिनों में किये गये कार्यों का विवरण न्यायालय खुलने की तिथि पर मेरे समक्ष प्रातः 10 बजे से 10. 30 बजे के बीच उसका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेंगे।

दिनांक- 14. 07. 2021

14.07.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित ।

श्रीमान प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय झांसी ।

भवदीय

दिनांक- 14. 07. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

1. 14-7-21
2. 14-7-21
3. 14/07/21

11/3 8/c

From Vimal Prakash Arya
Add. Distt. & Session Judge (F. T. C .)
Jhansi. (C/ U 14 th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub:- Explanation in compliance of D. O. No. 08 dated 12. 07. 2021.

Sir

With due respect I have to say that an earlier D. O. No. 07 dated 01. 07. 2021 was issued, I came to know that such type of inspection was done by you on dated 20. 02. 2021. In compliance of D. O. No. 7 dated 01. 07. 2021 I issued a notice to my reader, my reader explained that no such order was receive to him during 15. 02. 2021 to 08. 03. 2021 and not later on, and no such order was handed over to him by the concerned clerk, therefore that order could not be enclosed in concerned guard file and no such order is enclosed in concerned guard file by concerned clerk.

In compliance D. O. No. 7 dated 01. 07. 2021 I moved a latter to you on dated 05. 07. 2021 on which a order was passed on dated 12. 07. 2021 which I received on dated 13. 07. 2021. In compliance of order dated 12. 07. 2021 I passed on order to Shri Chhatrajeet and Shri Vivek Gupta for compliance.

Therefore, these were the reasons hence the compliance of the said order could not be done during the period mentioned in the inspection dated 20. 02. 2021.

Thanks.

Yours sincerely

15.07.2021

(Vimal Prakash Arya)
Add. Distt. & Session Judge (F. T. C .)
Jhansi. (C/ U 14 th F. C.).

Dated:15. 07. 2021
Enclosure
Photocopy as above (03)

From Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub :Report in compliance of Reference No. 172/ D. J. Dated- 12. 07. 2021.

Madam

With due respect I have to say that in compliance of above reference number the report prepared by Shri Kshatrajeet Singh and Shri Vivek Gupta from dated 14. 07. 2021 to 19. 07. 2021 is enclosed herewith for your kind perusal.

Thanks.

Your' s Sincerely

20.07.2021

(Vimal Prakash Arya)
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

Dated- 20. 07. 2021

20.7.2021

From Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/U 14th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub :Report in compliance of Reference No. 172/ D. J. Dated- 12. 07. 2021.

Madam

With due respect I have to say that in compliance of above subject, the report prepared by Shri Kshatrajeet Singh and Shri Vivek Gupta from dated 20. 07. 2021 to 25. 07. 2021 is enclosed herewith for your kind perusal.

It is further informed that the both the employees were preparing joint list but it does not show which list is prepared by whom and who is responsible for which list, hence the order was passed on dated 22. 07. 2021 and informed the said employees.

The working of the said employees is not satisfactory. It seems that only the said employees are completely unable to do the said work within the time granted by you.

Therefore you are kindly requested to nominate other employees for completing said work within the time granted by you.

Thanks.

Your's Sincerely

26.07.2021

(Vimal Prakash Arya)
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/U 14th F. C.).

Dated- 26. 07. 2021
Enclosure
As above (11)

Ser. 26.07.21

Soon. Keep on concerned Guard file. Reader to comply.

26.07.2021

o/c

11/6

Jyotsna Sharma, H.J.S.
District Judge,
Jhansi

Chamber,
D.O. No.
Dated: July 26,2021

Dear Mr. Arya,

Kindly take the reference of administrative order Ref. No. 172/D.J. dated 12.07.2021 and your letter, dt. 20.7.21, along with four lists of files dated 14.07.2021, 15.07.2021, 16.07.2021 and 19.07.2021 forwarded by you to the administrative office, Judgeship Jhansi, bearing signatures of Sri Chhatrajeet, Sr.Assistant and Sri Vivek Gupta, Jr. Assistant.

(1) Your report does not show whether necessary directions for completion of the task assigned to you have been issued to the personnels especially assigned for this purpose. In fact, the four lists as well as report submitted by you lack the following relevant details:-

Whether the files mentioned in the lists are decided files or pending one. No detail has been mentioned as to whether the record in each and every file is complete and duly indexed. It has also not been mentioned whether the files so found are consignable or can be weeded out or are pending files. No detail as to the Courts, where they were pending or should have been consigned have been given and so on.

(2) The report positively lacks necessary details regarding files and does not suggest any measure, which can be and should be taken to deal with the situation arising out of unauthorized dumping of files.

(3) It is made clear when an Officer is assigned an administrative duty by the undersigned, he is expected to perform the assigned task in a manner so as to facilitate further processing in the matter and bring the matter to its logical end.

(4) You are, therefore, expected to issue suitable directions to the staff. You are also expected to serve this institution with sincerity and to complete the task with administrative competence expected of a judicial officer.

Sincerely Yours

(Jyotsna Sharma)

Sri Vimal Prakash Arya,
Addl.District & Sessions Judge/FTC,
Jhansi.

सेवा में

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, (F.T.C) झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित),
जनपद न्यायालय, झांसी।

विषयः **अभिलेखागार की पत्रावलियों की सूची बनवाये जाने हेतु दो -तीन अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक की ड्यूटी लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 12.07.21 के माध्यम से आप के निर्देशन में अभिलेखागार की पत्रावलियों की सूची बनाये जाने हेतु हम प्रार्थीगण की ड्यूटी लगायी गयी है। उक्त आदेश के अनुपालन में हम प्रार्थीगण अपने कार्य के अतिरिक्त रिकॉर्डरुम में रखी पत्रावलियों की सूची बना रहे हैं।

रिकॉर्डरुम में रखी पत्रावलियों काफी अस्त-व्यस्त, जर्जर व धूल-धूसित हालात में है जिन्हें छांटने/तलाशने व सफाई करने के उपरान्त उक्त पत्रावलियों की सूची बनाये जाने में काफी समय लग रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्य को एक माह के अन्दर पूर्ण किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि उपरोक्त कार्य हेतु दो -तीन अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक की ड्यूटी लगाये जाने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करें, ताकि उपरोक्त कार्य का सम्पादन अतिशीघ्र किया जा सकें।

दिनांक- 26.07.21

26.07.2021
for forwarded
26.07.2021

प्रार्थीगण

1. छत्रजीत (प्रधान सहायक)

2. विवेक गुप्ता (कनिष्ठ सहायक)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

प्रशासनिक आदेश

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के पत्र दिनांकित- 26. 07. 2021 के संबंध में श्री क्षत्रजीत (प्रधान सहायक) व श्री विवेक गुप्ता (कनिष्ठ सहायक) को पुनः आदेशित किया जाता है कि अभिलेखागार की जिन पत्रावलियों की सूची उनके द्वारा तैयार की जा रही है, उस सूची के साथ- साथ इस तथ्य के बावत भी अपनी आख्या प्रस्तुत करें कि जो सूची उनके द्वारा तैयार की जा रही है उस सूची में संबंधित पत्रावली निर्णीत हो चुकी है या विचाराधीन है और यह भी आख्या प्रस्तुत करें कि वह पत्रावली पूर्ण है एवं पूर्णतया सूचीबद्ध है। साथ ही यह भी आख्या प्रस्तुत करें कि क्या पत्रावली निर्णीत होने पर वीड आउट किये जाने योग्य है या निर्णीत होने पर दाखिल दफ्तर किये जाने योग्य है और यदि पत्रावली विचाराधीन है तो इस बावत आख्या प्रस्तुत करें, जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया प्रस्तुत सूची के बावत समुचित आदेश पारित कर सकें।

अतः आप श्री क्षत्रजीत एवं श्री विवेक गुप्ता को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनाक- 14. 07. 2021 से 25. 07. 2021 तक जो भी सूची प्रेषित की गयी है उस सूची की पुनरीक्षित सूची उपरोक्त दिये गये दिशा- निर्देशों के प्रकाश में पुनः अविलम्ब तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सूचित किया जा सके तथा आपको यह भी आदेशित किया जाता है कि दिनांक- 26. 07. 2021 से जो भी सूची तैयार की जाए वह सूची उपरोक्त दिये गये दिशा- निर्देशों के अनुक्रम में ही तैयार की जाए।

उक्त आदेश की एक प्रति श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को सूचनार्थ अविलम्ब प्रेषित की जाए व एक प्रति संबंधित गार्ड फाईल में रखी जाए।

दिनांक- 27. 07. 2021

27.07.2021
(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित

1. Chhatrajit
2. Vivek

From Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/U 14th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub :Report in compliance of Reference No. 172/ D. J. Dated- 12. 07. 2021.

Madam

With due respect I have to say that in compliance of above subject, the report prepared by Shri Kshatrajeet Singh and Shri Vivek Gupta from dated 20. 07. 2021 to 25. 07. 2021 is enclosed herewith for your kind perusal.

It is further informed that the both the employees were preparing joint list but it does not show which list is prepared by whom and who is responsible for which list, hence the order was passed on dated 22. 07. 2021 and informed the said employees.

The working of the said employees is not satisfactory. It seems that only the said employees are completely unable to do the said work within the time granted by you.

Therefore you are kindly requested to nominate other employees for completing said work within the time granted by you.

Thanks.

Your's Sincerely
26.07.2021
(Vimal Prakash Arya)
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/U 14th F. C.).

Dated- 26. 07 2021
Enclosure
As above (11)

As the staff deputed with you is working under your administrative immediate control, hence you are expected to pass suitable administrative orders so as to guide them to complete the task as early as possible and prepare the list with all particulars which are needed in the circumstances and suggestions as well measures you think are suitable to be taken to prevent repetition of such thing as well to deal with the files so enlisted. Matter can be discussed by you as regards nomination of extra staff.
28-7-21

प्रतिलिपि A.D.J./F.T.C. (14 F.C.) Jhansi
सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित।
आज्ञा से
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जिला न्यायालय, झाँसी
28/07/2021

Received
28.07.2021

विश्राम कक्ष
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनांक- 21. 09. 2021

नोटिस

बनाम

1. श्री छत्रजीत, प्रधान सहायक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय झांसी।
2. श्री विवेक गुप्ता, कनिष्ठ सहायक प्रतिलिपि अनुभाग दीवानी, जनपद न्यायालय झांसी।

विषयः- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा पारित आदेश संदर्भ सं०- 172/ D. J. दिनांकित- 12. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः- मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 05. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि मेरे द्वारा आप दोनों को उपरोक्त संदर्भित पत्राक के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आप मा० जनपद न्यायाधीश महोदया के आदेश के अनुपालन में प्रतिदिन अभिलेखागार की पत्रावलियों को तैयार कर उसकी सूची अगले दिन प्रातः मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपके द्वारा दिनांक- 02. 09. 2021 को कुछ पत्रावलियाँ मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। उसके उपरान्त से कोई भी पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी और न ही आप बुलाने पर आ रहे हैं और आप श्री छत्रजीत द्वारा उक्त कार्य में कोई भी रूचि नहीं ली जा रही है और न ही कोई कार्य किया जा रहा है। आपको कई बार बुलाया गया व उक्त आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा गया तो आपके द्वारा अवगत कराया गया कि आप माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के द्वारा बताये गये कार्यों में व्यस्त हैं और प्राथमिकता के रूप में माननीय महोदया द्वारा बताये हुए कार्यों को ही कर पायेंगे और अन्य कोई कार्य नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया और न ही कोई आख्या प्रस्तुत की गयी।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आप दिनांक- 02. 09. 2021 व उसके उपरान्त तैयार पत्रावली व आख्या की सूची मय स्पष्टीकरण आज दिनांक- 21. 09. 2021 का अपरान्ह 16. 00 बजे तक प्रस्तुत करें।

21.09.2021

दिनांक- 21. 09. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रतिलिपिः-
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 21. 09. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

Received copy
21-9-21
21-9-21
9/3

सेवा मे

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,
(F.T.C) झाँसी।

विषय - माननीय महोदय के आदेश 21-9-21 द्वारा प्रार्थी से मांगे गये स्पष्टीकरण के संबंध मे।

महोदय,

निवेदन करना चाहता हूं कि प्रार्थी की तबियत खराब हो जाने के कारण प्रार्थी 03-09-21 से 04-09-21 अवकाश पर था व फिर डा० अनुराग श्रीवास्तव की सलाह से 07-9-21 से 18-9-21 तक EL पर था। प्रार्थी दि० 20-9-21 को उपस्थित हुआ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी को क्षमा करने की कृपा करें।

स्पष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा मे सादर प्रेषित है।

दिनांक - 22-09-21

प्रार्थी

Vivek Gupta

(विवेक गुप्ता)

प्रतिलिपिक, अनुभाग दीवानी

जनपद-न्यायालय झाँसी

सेवा में,

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ०टी०सी०),

जनपद न्यायालय, झांसी।

बिषयः- **नोटिस दिनांकित 21.09.2021 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में**

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मन निवेदन करना है कि रिकार्ड रूम की पत्रावलियों की सूची बनाये जाने हेतु मेरे साथ श्री विवेक गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक को आदेशित किया गया है। श्री विवेक गुप्ता दिनांक 03.09.2021 व 04.09.2021 को आकस्मिक अवकाश पर थे तथा दिनांक 05.09.2021 को रविवारीय अवकाश था। श्री विवेक गुप्ता अस्वस्थय होने के कारण दिनांक 07.09.2021 से दिनांक 18.09.2021 तक अर्जित अवकाश पर चले गये। चूंकि उपरोक्त कार्य अकेले और बिना टाइपिस्ट के किया जाना सम्भव नहीं हैं। इसलिए श्री विवेक गुप्ता के उपरोक्त कथित अवधि में अर्जित अवकाश पर चले जाने के कारण प्रश्नगत कार्य मेरे द्वारा अकेले किया जाना सम्भव नही हो सका। उक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु प्रार्थी ने दो वरिष्ठ तृतीयश्रेणी कर्मचारियों को मेरे साथ सम्बद्ध करने हेतु मेरे द्वारा आवेदन किया गया था। मेरे उक्त आवेदन पर किसी अतिरिक्त तृतीयश्रेणी कर्मचारी को मेरे साथ सम्बद्ध करने को कोई आदेश नही हो सका। अतिरिक्त तृतीयश्रेणी कर्मचारी नही होने व श्री विवेक गुप्ता दिनांक 03.09.2021 से लगातार अवकाश रहने के कारण प्रश्नगत अवधि में मेरे द्वारा अकेले कार्य नही हो सका।

जैसा कि श्रीमान् जी द्वारा नोटिस में लिखा गया है कि कई बार बुलाने पर भी क्षत्रजीत नही आये। श्रीमान् जी आप के द्वारा मुझे प्रातः 10:00 व सायं 4:00 बजे ही बुलाया गया हैं। उक्त के सम्बन्ध में श्रीमान् जी को मेरे द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया था कि मैं नजारत अनुभाग में सम्बद्ध हूँ और मैं रोजाना प्रातः 9:30 आकर साफ-सफाई आदि की व्यवस्था को देखता हूँ उसके उपरान्त प्रातः 10:00 उच्चाधिकारयों के आ जाने के बाद उनके हस्ताक्षर आदि कराने में जाना पड़ता है तथा सायं 4:00 बजे भी मुझे उन्ही उच्चाधिकारियों के पास हस्ताक्षर आदि कार्य कराने में जाना पड़ता हैं, इसलिए शायद किसी दिन श्रीमान् जी के द्वारा बुलाये जाने पर प्रार्थी समय पर नही पहुंच सका होगा, इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

मेरे द्वारा और श्री विवेक गुप्ता द्वारा लगभग 300 पत्रावलियों (दाखिलदफ्तरयोग्य, विचाराधीन एवं विनिष्टीकरण योग्य) की सूची बनायी जा चुकी हैं। जिनमें से 65 दाखिलदफ्तरयोग्य एवं 42 विचाराधीन पत्रावलियों की सूची श्रीमान् जी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी हैं। उक्तानुसार प्रार्थी ने अपने कार्य को सम्पादित करने में कोई हीला-हवाली नही किया हैं। यदि कार्य करने में विलम्ब/भूल हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

स्पष्टीकरण श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

प्रार्थी

22.9.21

क्षत्रजीत (प्रधान सहायक),

सम्बद्ध उपनाजिर,

जनपद न्यायालय, झांसी।

From Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub :Report in compliance of Reference No. 172/ D. J. Dated- 12. 07. 2021.

Madam

With due respect I have to say that in compliance of above subject, the report prepared by Shri Chhatrajeet Singh and Shri Vivek Gupta is enclosed herewith for your kind perusal.

In compliance of order dated 06. 08. 2021 the list of files of consigning is enclosed herewith for your kind perusal and F. O.

Thanks.

Your' s Sincerely

22.09.2021

(Vimal Prakash Arya)
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

Dated- 22. 09. 2021
Enclosure
As above (01)

Received
23/09/21

विश्राम कक्ष
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनांक- 29. 09. 2021

नोटिस

बनाम

1. श्री छत्रजीत, प्रधान सहायक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय झासी।
2. श्री विवेक गुप्ता, कनिष्ठ सहायक प्रतिलिपि अनुभाग दीवानी, जनपद न्यायालय झांसी।

विषयः- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा पारित आदेश संदर्भ सं०- 172/ D. J. दिनांकित- 12. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः- मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 05. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

आपको पूर्व में लिखित में अवगत कराया जा चुका है कि आप प्रतिदिन जो भी पत्रावलियाँ तैयार करेगे उसकी सूची अगले दिन प्रातः 10. 00 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, किन्तु आपके द्वारा लिखित आदेश व कई बार मौखिक रूप से दिये गये आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और आप श्री छत्रजीत द्वारा बार- बार यह कहा जा रहा है कि आप प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त हैं।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा दिनांक- 28. 09. 2021 को जो पत्रावलियाँ तैयार की गयी उनकी सूची मेरे समक्ष आज दिनांक- 29. 09. 2021 को प्रातः 10. 00 बजे क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी। इसके साथ ही आपको पुनः आदेशित किया जाता है कि आदेश का अक्षरः अनुपालन करें और कृत कार्य का पूर्ण विवरण अगले दिन प्रातः 10. 00 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। आपका कार्य संतोषजनक नहीं है। अतः कार्य में सजगता, जागरूकता व तत्परता दिखायें, जिससे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को उक्त की आख्या प्रत्येक सप्ताह में भिजवायी जा सके।

दिनांक- 29. 09. 2021

29.09.2021
(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रतिलिपिः-
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 29. 09. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

Received 29.9.21

Received 29.9.21

29.9.21

9/4

सेवा में,

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०),
चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित,
जनपद न्यायालय, झांसी।

विषयः- श्रीमान् जी द्वारा निर्गत नोटिस दिनांकित 29.09.2021 का स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

बिषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन करना है कि दिनांक 28.09.2021 की तैयार की गई पत्रावलियों की सूची प्रातः10:00 बजे नही प्रस्तुत कर सका था। इस सम्बन्ध में इससे पूर्व मेरे द्वारा लिखित व मौखिक रूप से श्रीमान् जी को अवगत कराया गया था कि प्रार्थी नजारत अनुभाग में सम्बद्व होने के कारण नजारत से सम्बन्धित (सफाई व्यवस्था आदि का कार्य) प्रातः 9.30 से करवाने में व्यस्त करता हैं। प्रातः10:00 बजे उच्चाधिकारियों (माननीय जनपद न्यायाधीश, झांसी, आहरण एवं वितरण अधिकारी, झांसी एवं प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, झांसी) के आ जाने पर उनसे सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाये जाने हेतु उनके पास जाना आवश्यक होता हैं।

श्रीमान जी को निवेदन पूर्वक यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी को टाईप करना नहीं आता है और उक्त कार्य हेतु मेरे साथ सम्बद्ध मेरे सहकर्मी श्री विवेक गुप्ता को भी टाईप नहीं आता है। जबकि श्रीमान जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि सूची टाईप सूदा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। टाइपिस्ट समय से नहीं मिलने के कारण दिनांक 28.09.2021 को बिना सूची युक्त की पत्रावलियों की सूची नहीं बना सका था। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमान जी को पहले कार्यदिवस में हाथ से बनी सूची प्रस्तुत किया था जिसे श्रीमान जी द्वारा ठीक न मानते हुए टाईप सुदा सूची प्रस्तुत करने हेतु मौखिक रुप से आदेशित किया गया था। उक्त के अनुक्रम में यह भी अवगत कराना है कि अभिलेखागार में तमाम पत्रावलियों में से तलासने पर कुछ ही पत्रावलियां दाखिल दफ्तर योग्य विचाराधीन व विनिष्टीकरण योग्य प्राप्त होती हैं। इस प्रकार अभिलेखागार में पत्रावलियों को तलासने में लगभग ०२ घण्टे का समय लगता है।

यद्यपि प्रार्थी उपरोक्त कार्य को सजगता व तत्परता से करने का पूरा प्रयास करता है फिर भी यदि श्रीमान जी द्वारा समुचित नही समझा जावे है तो उक्त के लिए मै क्षमाप्रार्थी हूं।

स्पष्टीकरण श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

दिनांक- ३०.०९.२०२१

प्रार्थी,
30-9-21
प्रधान सहायक,
सम्बद्ध उपनाजिर,
जनपद न्यायालय, झांसी।

9/5

सें,

श्री मान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ० टी० सी०)
चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित
जनपद न्यायालय झाँसी

विषय : श्री मान जी द्वारा निर्गत नोटिस दिनांकित 29.09.2021 का स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन करना है कि दिनांक 28/09/2021 को तैयारी की गई पत्रावलियो की सूची प्रातः 10:00 बजे नही प्रस्तुत कर सका था

अतः श्री मान जी से निवेदन है कि अभिलेखागार में तमाम पत्रावलियो में से तलासने पर कुछ ही पत्रावलिये दाखिल दफ्तर योग्य विचाराधीन विनिष्टीकरण हेतु प्राप्त होती है। इस प्रकार अभिलेखागार में पत्रावलियों को तलासने में काफी समय लगता है, इस कारण वश दिनांक 28/09/2021 को श्री मान के समक्ष पत्रावलियाँ में पेश नहीं कर सका।

यद्यपि प्रार्थी उपरोक्त कार्य को सजगता व तात्पर्यता से करने का पूरा प्रयास करता है अतः श्री मान श्री से निवेदन है। कि प्रार्थी को क्षमा करने की कृपा करें।

स्पष्टीकरण श्री मान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

दिनांक : 30.09.21

प्रार्थी
Vivek Gupta
प्रतिलिपिक
प्रतिलिपि अनुभाग (दीवानी)
जनपद न्यायालय झाँसी

From Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub :Report in compliance of Reference No. 172/ D. J. Dated- 12. 07. 2021.

Madam

With due respect I have to say that in compliance of above subject, the report prepared by Shri Chhatrajeet Singh and Shri Vivek Gupta is enclosed herewith for your kind perusal.

In compliance of order dated 06. 08. 2021 the list of files of consigning is enclosed herewith for your kind perusal and F. O.

Thanks.

Your' s Sincerely

1.10.2021

(Vimal Prakash Arya)
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

Dated- 01. 10. 2021
Enclosure
As above (03)

06/10/21.

From Vimal Prakash Arya
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

To The Respected District Judge
Jhansi.

Sub :Report in compliance of Reference No. 172/ D. J. Dated- 12. 07. 2021.

Madam

With due respect I have to say that in compliance of above subject, the report prepared by Shri Chhatrajeet Singh and Shri Vivek Gupta is enclosed herewith for your kind perusal.

In compliance of order dated 06. 08. 2021 the list of files of consigning is enclosed herewith for your kind perusal and F. O.

Thanks.

Your' s Sincerely

08.10.2021

(Vimal Prakash Arya)
Additional District & Session Judge
(F. T. C.) Jhansi. (C/ U 14th F. C.).

Dated- 08. 10. 2021
Enclosure
As above (03)

Rec. Copy
12/10/21

रुक्सा
रुक्सा

विश्राम कक्ष
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनांक- 18. 10. 2021

नोटिस
बनाम
1. श्री छत्रजीत, प्रधान सहायक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय झांसी।
2. श्री विवेक गुप्ता, कनिष्ठ सहायक प्रतिलिपि अनुभाग दीवानी, जनपद न्यायालय झांसी।

विषयः- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा पारित आदेश संदर्भ सं०- 172/ D. J. दिनांकित- 12. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः- मेरे द्वारा पारित आदेश दिनांकित- 05. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

आपको पूर्व में लिखित व मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है कि आप प्रतिदिन जो भी पत्रावलियाँ तैयार करेंगे उसकी सूची अगले दिन प्रातः 10. 00 बजे मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, किन्तु आपके द्वारा लिखित आदेश व कई बार मौखिक रूप से दिये गये आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपके द्वारा माह अक्टूबर, 2021 में जो पत्रावलियाँ तैयार की गयी उनकी सूची मेरे समक्ष दिनांक- 20. 10. 2021 को अपरान्ह 16. 00 बजे तक प्रस्तुत करें व कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

18.10.2021

दिनांक- 18. 10. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रतिलिपिः-
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

दिनांक- 18. 10. 2021

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

1. 20-10.21
2. Vivek 20-10-21

9/7

O/C

सेवा में,

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश, (एफ०टी०सी०)
जनपद न्यायालय झांसी।

विषय - नोटिस दिनांकित 18.10.2021 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन करना है कि रिकार्ड रूम की पत्रावलियों की सूची बनाये जाने हेतु मेरे साथ श्री इन्द्रजीत, प्रधान सहायक नजारत अनुभाग, को आदेशित किया गया है। श्री इन्द्रजीत, प्रधान सहायक अपने घर चले जाने के कारण उपरोक्त कार्य अकेले और बिना ~~बाद~~ टाइपिस्ट के बिना कार्य किया जाना सम्भव नही हो सका।

अतः श्री मान जी से निवेदन है कि सूची बनाने में काफी कागज लग रहे हैं और पुस्तकालय से दिनांक 07/10/2021 से कोई भी कागज प्राप्त न होने के कारण पत्रावलियों की इनडेक्स नही बना सका और उस कारण वश पत्रावलियों की सूची तैयार नही की जा सकी। यदि कार्य करने में विलम्ब / भूल हुई हो तो उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

स्पष्टीकरण श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक - 20-10-21

प्रार्थी
Vivek Gupta
(विवेक गुप्ता)
प्रतिलिपिक, अनुभाग दीवानी
जनपद न्यायालय झांसी

9/8

सेवा मे,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी,
लेखन सामग्री (पुस्तकालय) अनुभाग
जनपद न्यायालय, झांसी।

विषयः- **एक रिम (५०० कागज) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे निवेदन करना है कि माननीय जनपद न्यायाधीश झांसी के आदेश [illegible] १७२ डी०जे दिनांकित १२.०७.२१ के माध्यम से पुराने अभिलेखागार भवन स्थित पुराने न्यायालय [illegible] प्रपत्र, पत्रावलियों के सम्बन्ध में विनिष्ट होने योग्य प्रपत्रों एवं जारेषण (consign) होने योग्य अभिलेखों [illegible] सूची बनाये जाने हेतु हम प्राथीगण को आदेशित किया गया है उक्त के सम्बन्ध मे निवेदन [illegible] अभिलेखागार भवन में काफी मात्रा में (consign) होने योग्य, विनिष्ट होने योग्य एवं विचाराधीन पत्रावलियां [illegible] तैयार करने में लगभग एक रिम (५०० कागज A4 size) की आवश्यक्ता है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु एक रिम (५०० [illegible]) कराये जाने कि कृपा करें।

सादर

दिनांकः- ०६/१०/२०२१ प्रार्थीगण

१. छत्रजीत (प्रधान सहायक)

२. विवेक गुप्ता (कनिष्ठ सहायक) Vivek Gupta

06.10.2021
for Forwarded
06.10.2021

Received
07/10/21

108
3600
×18
64.80

विश्राम कक्ष
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।
दिनांक- 29. 10. 2021

नोटिस

बनाम

1. श्री छत्रजीत, प्रधान सहायक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय झांसी।
2. श्री विवेक गुप्ता, कनिष्ठ सहायक प्रतिलिपि अनुभाग दीवानी, जनपद न्यायालय झांसी।

विषयः- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा पारित आदेश संदर्भ सं०- 172/ D. J. दिनांकित- 12. 07. 2021 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः- श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के पत्र दिनांकित- 27. 10. 2021 के संबंध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि आपने माह अक्टूबर, 2021 में श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के आदेशानुसार व मेरे द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की और न ही किसी पत्रावली का कोई विवरण प्रस्तुत किया। श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने पत्र दिनांकित- 27. 10. 2021 द्वारा यह आपेक्षित किया गया है किः-

1. श्रीमान जनपद न्यायाधीश को जो लिस्ट भेजी गयी है, उन पर पीठासीन अधिकारी का सत्यापन व हस्ताक्षर नहीं हैं।
2. विगत तिथियों में भेजी गयी समस्त सूचियों में से किसी पत्रावली के बारे में यह सुझाव प्रेषित नही है कि इस पर किसी जाँच की आवश्यकता है।
3. अब तक भेजी गयी समस्त सूचियों में यह उल्लेख नहीं है कि दाखिल दफ्तर करायी पत्रावलियों को दाखिल दफ्तर करने का उत्तरदायित्व किस न्यायालय का था और यह भी उल्लेख नहीं है कि पत्रावलियों में अंतिम आदेश पत्र किस न्यायालय द्वारा अंकित है।
4. कर्मचारी एवं अन्य कार्य हेतु नियुक्त व लंबित पत्रावलियों में अंतिम आदेश पत्र किस न्यायालय अथवा कर्मचारी द्वारा अंकित है, यह भी उल्लेख नहीं है।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों को मय प्रेषित सूची मेरे समक्ष दिनांक- 30. 10. 2021 को प्रेषित करें, जिससे उक्त कमियों की पूर्ति करते हुए आख्या श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित की जा सके। इसके अतिरिक्त बिन्दु सं०- 3 व 4 के बावत प्रत्येक पत्रावली के संबंध में अपनी स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें तथा माह अक्टूबर, 2021 में कोई सूची न बनाये जाने के बावत भी अपना स्पष्टीकरण दिनांक- 30. 10. 2021 तक प्रस्तुत करें और किन कारणों से आपने सूची प्रेषित नहीं की, इसका सम्पूर्ण विवरण मय सुसंगत दस्तावेज के प्रेषित करें।

29.10.2021
(विमल प्रकाश आर्य)
अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) झाँसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

Recd
29-10-21
4.40pm

Received
Vivek
29-10-21
04-45PM

o/c

सेवा में,

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (F.T.C)
(ग्यारहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)
जनपद न्यायालय झांसी।

विषय- श्रीमान जी द्वारा निर्गत नोटिस दिनांकित 23-10-04 के सम्बन्ध में

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में ससम्मान पूर्वक निवेदन करना है कि नोटिस में अंकित बिन्दु सं.-① व बिन्दु सं. ② के बारे श्रीमान जी द्वारा अवगत कराया जाना है।

बिन्दु सं. ③ में अवगत कराना है कि अंतिम आदेश पत्र जिस न्यायालय द्वारा अंकित किया गया है उस न्यायालय का नाम सूची में अंकित है।

बिन्दु सं. ④ के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि अंतिम आदेश पत्र सम्बन्धित न्यायालय में तत्समय कार्यरत लिपिक द्वारा ही लिखा गया होगा जिसके हस्तलेख के बारे में प्रार्थी द्वारा बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि तत्समय कार्यरत लिपिक के हस्तलेख को प्रार्थी नहीं जानता है एवं प्रार्थी नवनियुक्त तृतीयश्रेणी कर्मचारी है।

माह अक्टूबर 2004 की पत्रावलियों की सूची नहीं बनने के संबंध में अवगत कराना है कि इस माह मे दि. 06/10/04 से 25/10/04 तक कागज उपलब्ध न होने के कारण सूची नहीं बन सकी तथा अब कुछ कागज प्राप्त हो जाने पर कुछ पत्रावलियों की इन्डेक्स बनाकर सूची तैयार की जा रही है। यदि कार्य करने मे विलम्ब / भूल हुई हो तो उसके लिये मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक - 30-10-04

प्रार्थी
Vivek Gupta
विवेक गुप्ता
(कनिष्ठ सहायक)
प्रतिलिपि अनुभाग (दीवानी)
जनपद न्यायालय झांसी।